137

Annexure-I

FORM-I
(For projects linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Udaipur

No.p-39/1[1]Raj/FRA/08/ 604 Dated: 16 march,,2017

To WHOMSOVER IT MAY CONCERN (REVISED)

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and complete the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 35.7823 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of North West Railway (name of user agency) for Udaipur Ahmedabad Gauge Conversion Project (purpose for diversion of forest land) in Udaipur district falls within jurisdiction of Dedakiya, Kharva, Jali ka guda, Jagat Village (s) in Girva Tehsils And Eklingpura, Oda, Bagurva Village in Sarada Tehsil,
It is further certified that:

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 35.7823 Hectares of forest area proposed for diversion. However, it is to be noted that out of this area 0.5243 Hectares land is recorded bilanam (Govt.land) and 0.82 Hect. land is recorded as private Khatedari in revenue record (Jamabandi) which has been already alloted and acquired respectivly in favour of Railways after following due process. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district Level Committee are enclosed as annexure 1 to 18 and 1 to 13.
b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;
c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

_Encl.:_as above

(Rohit Gupta)
District Collector Udaipur
DISTRICT COLLECTOR
UDAIPUR

D:\jitesh\backup\d\Revenew\PANKAJ\Forest.doc

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, उदयपुर
बैठक कार्यवाही विवरण

जिला उदयपुर राजस्थान की उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति उपखण्ड गिर्वा की बैठक दिनांक 10.03.2017 के द्वारा उप मुख्य अभियन्ता निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर के पत्र संख्या Dy.CE/CW/207/Cpnst/UDZ/Land Dated 07.03.2017 के अनुसार रेलवे, उदयपरु–हिम्मतनगर लाईन के आमान परिवर्तन परियोजना हेतु वन भूमि अधिग्रहण संबंधित स्टेज–1 का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने के लिए अपनी अनुशंषा उपरान्त जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, उदयपुर की अनुशंषा हेतु आज दिनांक 16.03.2017 को निम्नानुसार प्रस्ताव जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता में आयोजित स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में प्रस्तुत किये गये हैं।

रेलवे उदयपुर– हिम्मतनगर लाईन के आमान परिवर्तन परियोजना के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत उदयपुर जिले के गिर्वा उपखण्ड के राजस्व ग्राम खारवा के 4.8037 के स्थान पर 6.1480 हैक्टयर वन भूमि का गैर वानिकि प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना हैं। इस प्रकार से उदयपुर जिले के सात राजस्व ग्रामों की कुल प्रभावी भूमि 34.4380 हैक्टयर के स्थान पर 35.7823 हैक्टयर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना हैं।

उक्त कार्यवाही के दौरान उप मुख्य अभियन्ता निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर के पत्र W-207/const.UDZ/Land/Forest/474459014 दिनांक 16.02.2017 द्वारा यह ध्यान मे लाया गया है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत आने वाली भूमि के सम्बन्ध मे पूर्व मे जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र मे अंकित भूमि जो कि पूर्व मे वन विभाग के नाम जरीये नोटिफिकेशन दी गयी थी परन्तु समय पर उक्त नोटिफाईड वन भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद नही हो पाने से संदर्भित भूमि मे से आंवटन होने से निजी खातेदारी दर्ज हो गयी तथा शेष बिलानाम सरकार दर्ज रही, इस वन भूमि प्रत्यावर्तन मे 0.5243 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख मे राजकीय बिलानाम एंव 0.8200 हे0 भूमि जो राजस्व अभिलेख मे खातेदारी दर्ज थी जो सरकारी बिलानाम उत्तर पश्चिम रेल्वे मंत्रालय को आंवटित एंव निजी खातेदारी भूमि नियमानुसार अधिग्रहित हो चूकी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में 34.4380 हैक्टयर हैक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन अनुमोदन एवं अनुमति पत्र रेलवे की उदयपुर हिम्मतनगर लाईन के आमान परिवर्तन परियोजना हेतु सराडा एवं गिर्वा उपखण्ड के सातो ग्रामों की पंचायतों द्वारा पूर्व किया जा चुका हैं, किसी प्रकार की आपत्ति नही हैं। ग्राम सभाओं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्रों एवं अनुशंषा तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड सराडा एवं गिर्वा की अनुशंषा के आधार पर रेलवे की उदयपुर–हिम्मतनगर लाईन की आमान परिवर्तन परियोजना हेतु 34.4380 हैक्टयर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन किए जाने की जिला स्तरीय समिति, उदयपुर द्वारा पूर्व में अनुशंषा की जा चुकी हैं, चूंकी वन विभाग की नोटिफाईड अतिरिक्त राजकीय बिलानाम 0.5243 हे0 भूमि जो रेल्वे को आंवटित हो चूकी है एंव 0.8200 हे0 नीजी खातेदारी भूमि जो अधिग्रहित हो चूकी है उक्त भूमि को भी वनाधिकार अधिनियम के तहत जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र मे सम्मिलित किये जाने की उत्तर पश्चिम रेल्वे द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि में से राजस्व ग्राम खारवा उपखण्ड गिर्वा की पूर्व में प्रस्तावित 4.8037 हैक्टयर के स्थान पर 6.1480 हैक्टयर वन भूमि पर भोतिक सत्यापन के अनुसार प्रत्यावर्त्न किया जाना हैं जिसकी अनुशंषा ग्राम सभा खारवा एंव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा की जा चुकी हैं। अतः जिला वनाधिकार समिति, उदयपुर इसका अनुमोदन करती हैं। इस प्रकार कुल 35.7823 हैक्टयर वन भूमि गिर्वा एवं सराडा के उदयपुर–हिम्मतनगर आमान परिवर्तन परियोजना हेतु उ.प. रेलवे को अपवर्तन की अनुशंषा करती हैं।

उप वन संरक्षक, उदयपुर	जिला जनजातिय कल्याण अधिकारी उदयपुर	जिला कलक्टर उदयपुर।
श्री भंवर सिंह पंवार, जिला परिषद सदस्य	श्री दौलत सिंह कलासुआ मीणा जिला परिषद सदस्य	श्रीमति मांगी देवी जिला परिषद सदस्य

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

क्रमांक : वनाधिकार / 2017 / 842 दिनांक : 10|3|17

निमित्त :--

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
उदयपुर

O/c Rue
n/2

विषय :- उदयपुर–हिम्मतनगर रेल आमान परियोजना हेतु 35.7823 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु।

प्रसंग :- श्रीमान का पत्रांक प.39 ( )राज / हस्ता. / 2017 / 392 दिनांक 17.02.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत उदयपुर–हिम्मतनगर रेल आमान परिवर्तन परियोजना हेतु आवश्यक 34.4380 के स्थान पर 35.7823 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वनाधिकार मान्यता अधिनियम 2006 व नियम 2008 के तहत एफ.आर.ए. का प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र मय ग्राम सभा की छायाप्रति व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

Phone no. 0294-2413454
E-mail id -- sdmgirwa@gmail.com

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

क्रमांक : राजस्व / व.अ / 2017 / 841 दिनांक : 10/3/17

प्रमाण पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–9/98 एफसी (पीटी) दिनांक 3 अगस्त 2009, जिसमें कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 (एम.ओ.ई.एफ.) के तहत वन अधिकार के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर, निपटान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिशा में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के ग्राम खारवा की **6.1480 हैक्टर** वन भूमि को रेल्वे विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

क. तहसील गिर्वा के ग्राम खारवा की **6.1480 हैक्टर** वन भूमि रेल्वे विभाग को उदयपुर–हिम्मतनगर आमान परिवर्तन हेतु प्रस्तावित है. के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान और निस्तारण के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। जिसके अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत चांसदा की ग्राम सभा द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। (संलग्न ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत चांसदा से प्राप्त प्रमाण पत्र)

ख. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील गिर्वा की ग्राम पंचायत में (पूर्ण परियोजना के विवरण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा में) एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता के तहत पात्र, वनवासियों से सम्बन्धित ग्राम सभा में रखा गया है। तथा ग्राम पंचायत चांसदा की ग्राम सभा द्वारा ग्राम खारवा के खसरा नम्बर 1967/1900, 1871, 1966/1872, 1872 कुल किता 4 रकबा 4.8037 हैक्टर भूमि भौतिक सत्यापन के बाद **6.1480 हैक्टर** भूमि को रेल्वे विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया।

ग. तहसील गिर्वा से सम्बन्धित ग्राम सभा खारवा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताऍं/प्रक्रियाओ को अपनाते हुए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यों को विस्तृत रुप से समझकर विकास और मुआवजा (यदि कोई हो) के उपाय करने एंव प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है एव प्रमाणित किया है।

घ. तहसील गिर्वा में के ग्राम खारवा की ग्राम पंचायत चांसदा में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण कोरम होने के पश्चात् विधिवत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर सर्शत अनापत्ति दी गई है।

ङ. वनाधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत जरुरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओं के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है और ग्राम पंचायत चांसदा की ग्रामसभा ने यह करने की अपनी सहमति दे दी है।

ई. लागू नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

Attendance Sheet

बैठक दिनांक : 10/3/2017

अनुसूचित जनजाति और अन्य पम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 की क्रियान्विति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1980 के पूर्व के क़ब्जो को नियमित करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में दिनांक 10/3/2017 को उपखण्ड स्तरीय वनअधिकारी समिति की बैठक रखी गई। बैठक में निम्न अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित हुए :-

क्र.सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी मय पद	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	कमर उल ज़मान (SDM Girwa)	95303221722	
2	[illegible] (BDO कुराबड़)	9414758287	
3.	छोगजी मीणा प.स. (सदस्य)	7568980767	
4	भंवर लाल मीणा प.स.(सदस्य)	9636211955	Bhan
5	राधा मीणा प.स.(सदस्य)	7568704449	राधा मीणा
6	दयाजूराम शर्मा वी.ओ. कुराबड़	9829738454	

– बैठक कार्यवाही विवरण –

उपर्युक्त सदस्यों की उपस्थिति में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 1

उप मुख्य अभियन्ता निर्माण उत्तर पश्चिम रेल्वे उदयपुर के पत्र क्रमांक Dy. CE/C/W-207/Const.UDZ/Land दिनांक 07.03.2017 के अनुसार उदयपुर–हिम्मतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन के सम्बन्ध में उपखण्ड गिर्वा के राजस्व ग्राम खारवा की 4.8037 हैक्टर वन विभाग की सरकारी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था किन्तु वन विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर 4.8037 हैक्टर के स्थान पर 6.1480 हैक्टर भूमि पाई गई. उक्त वन विभाग की सरकारी भूमि का उत्तर पश्चिम रेल्वे को उदयपुर–हिम्मतनगर आमान परिवर्तन कार्य के लिए आवश्यकता होने से रेल्वे विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु दिनांक 10.03.2017 को निम्नानुसार प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

"उदयपुर–हिम्मतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उदयपुर जिले के राजस्व ग्राम खारवा की 4.8037 के स्थान पर भौतिक सत्यापन अनुसार 6.1480 हैक्टर वन भूमि होने से ग्राम खारवा की 6.1480 हैक्टर वन भूमि को रेल्वे विभाग को हस्तान्तरित किया जाना है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष ग्राम सभा खारवा में 6.1480 हैक्टर वन भूमि का उदयपुर–हिम्मतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन हेतु हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 02.03.2017 को स्वीकृत किया गया। ग्राम सभा में प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंषा के आधार पर उदयपुर–हिम्मतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन हेतु ग्राम खारवा की 4.8037 के स्थान पर भौतिक सत्यापन अनुसार 6.1480 हैक्टर वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के [illegible] उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गिर्वा के सदस्यों द्वारा अनुशंषा की गई

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

GRAM SABHA MEETING

Village:- ....Kharwa............

Date:- ....02-03-2017...........

Place:- ..Chansada, Panchayat Samiti Kurabar, Dist Udaipur

A Gram Sabha is conducted today on 02-03-2017 Date Thursday day in Village ...Chasada.... Under the chairmanship of Sh. Shankar Lal Meena..... Sarpanch Chansada.......Village Kharwa more than 70%..... members of Gram Sabha were present in the meeting and the following issues were discussed in the Gram Sabha Meeting.

1. In ...Kharwa... Village North .... (Name of user agency) Western Railway... has applied for diversion of forest land measuring ....6.1480.....ha. for non-forest purpose i.e. gauge conversion project which was thoroughly discussed in the meeting.
2. Tha aim, objectives and use of said diversion proposal was discussed thoroughly in the Gram Sabha Meeting.
3. The Rules and Regulations of the Scheduled tribe and the other traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 were discussed keeping in view the said forest diversion proposal. The forest land proposed for diversion is coming within the Gauge Conversion Project of North Western (Name of user agency) Railway..... No Scheduled tribe and the other traditional Forest dwellers are cultivating, residing and doing other traditional activities within the proposed Forest land and No Forest right (individual or community) has been granted to any schedule Tribes and the other traditional Forest dwellers within the forest land proposed for diversion.

Hence it was unanimously resolved in the Gram Sabha for proposed diversion of ....6.1480.....Ha. Forest land for non-forest purpose i.e. Gauge conversion project in favour of .N.W. Rly.... (Name of User Agency).

ग्राम सभा चाँसदा का प्रस्ताव सं. 1 / 02-03-2017
उपस्थित सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर सहित
सत्यापित कॉपी / प्रतिलिपि

Sarpanch ....Village

सरपंच
ग्राम पंचायत चांसदा
पं.स. कुराबड़, जि. उदयपुर

Signature of members of Gram Sabha of .... Village

दिनांक :- 02-03-2017

ग्राम सभा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ. आर. ए./2017/438 दिनांक 17-2-17 के आदेशानुसार ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र चांसदा में आज दिनांक 02-03-2017 को सरपंच साहब श्री शंकर लाल मीणा की अध्यक्षता मे विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें

ग्राम सभा मे उपस्थित जनप्रतिनिधी अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित हुवे

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री शंकर लाल मीणा	सरपंच	[signature]
2.	श्री हितेश पालीवाल	ग्राम सेवक	[signature]
3.	श्री सदाशिव चौहान	SSE/WC/UDZ	[signature]
4.	श्री रमेशचन्द्र मीणा	वार्डपंच 9	रमेश
5	श्री केशु लाल मीणा	वार्डपंच 6	केशुलाल
6.	श्रीमती लीला मीणा	वार्डपंच 8	लीला
7.	श्रीमती रक्षा देवी	वार्डपंच 1.	रक्षा देवी
8.	श्रीमती हेमलता देवी	वार्डपंच 4	हेमलता बाई
9.	श्री मोहन लाल मीणा	वार्डपंच 3	[signature]
10.	श्री हेमराज रावत	LDC	[signature]
11	श्री इन्द्र सिंह चौहान	GIRS	[signature]
12			

[signature]

शंकर लाल मीणा
सरपंच
ग्राम पंचायत चांसदा
पं.स. गिर्वा, जि. उदयपुर

प्रस्ताव सं. (1)

आज की ग्राम सभा की बैठक मे सरपंच साहब ने प्रस्ताव रखा की उदयपुर हिम्मतनगर रेल आमान परिवर्तन हेतु दिनांक 23-08-2013 की ग्राम सभा मे प्रस्ताव सं. (2) पर वन भूमि से गैरवन भूमि रूपान्तरण हेतु ग्राम सभा मे निम्न खसरा नम्बर 1967/1900, 1871, 1966/1872, 1872 कुल 4.8037 हैक्टेयर भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था किन्तु वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के भौतिक सत्यापन मे राजस्व ग्राम खारवा की आने वाली जमीन 4.8037 के स्थान पर 6.1480 हेक्टेयर है अतः ग्राम सभा की बैठक मे सर्वसम्मति से विकास को देखते हुए 6.1480 हेक्टेयर भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया एवं विवरण ग्राम सभा की बैठक मे पढकर सुनाया गया।

प्रस्ताव सं. (2)

आज की ग्राम सभा की बैठक मे ग्राम सेवक पदेन सचिव ने जानकारी दी की पूर्व वर्षो के इन्दिरा आवास एवं CM BPL आवास जो कि अपूर्ण है उनकी सूची ग्राम सभा मे पढकर सुनाई एवं अपूर्ण आवास जो कि लाभार्थी अपने स्तर पर

शंकर लाल मीणा
सरपंच
ग्राम पंचायत ... जि. उदयपुर

पूर्ण नहीं कर पा रहे है उनसे सहमति प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा करवाने की जानकारी दी। एवं प्रधानमंत्री आवास योजनान्तगत पात्र परिवारों की वरीयता सूची पढ़कर सुनाई एवं शेष रहे लाभार्थीयों को शीघ्रता शीघ्र आवेदन करने व जिन परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो गया है उनकी जियो टैकिंग करवाने की जानकारी दी गई।

प्रस्ताव सं. (3)

आज की ग्राम सभा की बैठक मे महात्मा गांधीराष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना व अन्य योजना की चर्चा की गई व नियोजित श्रमिकों की चर्चा की गई एवं आय व्यय की जानकारी ग्राम सभा की बैठक मे दी गई।

ग्राम सभा समाप्ति की घोषणा की गई।

ओंकारलाल केशु लाल

सरपंच
ग्राम पंचायत खांसवा

शंकर लाल मीणा

हस्ताक्षर व अंगूठा

नि. जमनी

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ग्राम सभा समापित की घोषणा की गई।

नि. प्रताबी थावरचन्द नि. पुजी

जमना

फुली

नि. पपीबाई

नि. लील

दुल्ला

पप्पुलाल

जमला

नि. पुष्पा

जमना

दुल्ला बाई

नि. नारायणी

लालनाथ

नि. कमला

नि. कुकु

नि. गागा

नि. काकु

नि. प्रेमली बाई

नि. कानुबाई

शंकर लाल मीणा
सरपंच
ग्राम पंचायत
पं.स.

नी पूनमी

नी केसरी

नी कलावती

नी धनकी

नी मालकी

नी लक्ष्मी

नी लालकी

सुन्दरी

उदै

नी मोहनी

नी मालकी

नाला

नी शीला

नी सरला

नी शान्ती

नी पारसी

नी पुष्पा

नी कालकी

शंकर [illegible] मीणा
ग्राम पंचायत
पं.स. [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

गोपाल [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]